निग० - 3372/2018/रीवा/भू रा०

93

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैंप रीवा जिला रीवा म•प्र•

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

1• वृजेन्द्र कुमार मिश्रा तनय महाबीर प्रसाद मिश्रा ॥ मृत ॥

वारिस-

उमा मिश्रा पत्नी वृजेन्द्र मिश्रा उम्र 35 साल, निवासी गुलाबनगर रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म•प्र• ------ आवेदिका

बनाम

1• उषा मिश्रा पत्नी सुरेश कुमार मिश्रा उम्र 50 साल निवासी समान रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म•प्र•

2• आशा मिश्रा पत्नी वृजेश मिश्रा उम्र 50 साल, निवासी गुलाब नगर समान रीवा, तहसील हुजूर जिला रीवा म•प्र•

3• शासन म० प्र० ----- अनावेदक गण

प्रस्तुत० श्री एस.एन. शुक्ला द्वारा पेश 31.5.18

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा तहसील हुजूर, जिला रीवा म•प्र• भूमि नम्बर 519/7ख, एवं 519/3क/1, स्थित समान रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म•प्र• नक्शा मे सुधार तरमीम निरस्त किए जाने बावत ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म•प्र• भू• रा•सं• 1959 ई०।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1- यह कि भूमि नं० 519/7ख एवं 519/3क/1 स्थित समान रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म•प्र• मे राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया तरमीम कानून एवं प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

2- यह कि भूमि नं० 519 रकबा 32•00 एकड़ स्थित ग्राम समान तह० हुजूर जिला रीवा म० प्र० के भूमिस्वामी महाबीर प्रसाद थे, महाबीर प्रसाद के 6 पुत्र थे । महाबीर प्रसाद ने अपने पुत्रो के मध्य पारिवारिक रजि० बटवारा

उमा मिश्रा

(93)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

[illegible] क्रमांक R 3372 - रीवा/18 जिला– रीवा

वृजेन्द्र कुमार मिश्रा विरूद्ध श्रीमती कृष्णा मिश्रा व अन्य

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री एस.एन.शुक्ला अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार~~/ ~~नायब तहसीलदार~~/राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक नक्शा दुरुस्ती में पारित आदेश दिनांक x के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 21-1-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	